# राजस्थान सरकार

## वित्त विभाग

### आर्थिक मामलात डिवीजन

## राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य पाल महोदय को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर की गयी कार्यवाही विवरण पर ज्ञापन

महामहिम राज्यपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 1995 को प्रस्तुत किये गये प्रथम राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन, जो कि 1 अप्रैल 1995 से प्रारम्भ पाँच वर्षो की अवधि से संबन्धित है, तथा उसमें की गयी सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का विवरण संविधान की धारा 243 आई (4) तथा 243 वाई (2) के तहत सदन की मेज पर रखा जा रहा है। आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण करने हेतु की गयी सिफारिशों का विस्तृत विवरण प्रतिवेदन के क्रमशः अध्याय 9 एवं 17 में समाहित है।

2. राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अन्तरण

संविधान की धारा 243 आई (1) (ए) (i)एवं वाई (1)(ए)(i) के तहत क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व में से 2.18 प्रतिशत के बराबर राशि हस्तान्तरित करने की आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकार ने सामान्यतया स्वीकार कर लिया है।

3. आयोग द्वारा अन्तरित राशि का अनुपातिक वितरण

आयोग द्वारा बताये गये राज्य के शुद्ध कर राजस्व से स्थानीय निकायों को अन्तरित राशि के पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य वितरण के अनुपात (यथा 3.4 बनिस्पत 1) को भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया है।

4 मैचिंग ग्राण्ट

राज्य वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार वर्ष 1996–97 से पंचायत राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि के संबंध में यह सिफारिश की है कि स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से मैचिंग अंशदान उपलब्ध नहीं कर सकती अतः मैचिंग अंशदान के लिये राशि राज्य सरकार उपलब्ध करावे। राज्य सरकार ने इस सिफारिश को सिद्धान्ततः स्वीकार कर यह निर्णय लिया है कि मैचिंग अंशदान उन स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराया जावेगा जो सरकार के मतानुसार स्वयं के स्त्रोतो से मैचिंग अंशदान उपलब्ध करा सकने में सक्षम नहीं है।

5. अन्य सुझाव व सिफारिशें

संविधान की धारा 243 आई (1) (b) व वाई (1) (b) के तहत आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं से संबन्धित 22 तथा नगरीय स्थानीय निकायों से सम्बन्धित 49 अन्य सुझाव एवं सिफारिशें की है। इन सिफारिशोका परीक्षण शासन से किया जा रहा है जिन पर समुचित निर्णय शीघ्र ही लिये जावेगें।

6. क्रियान्विति

(क) आयोग की सिफारिशो की क्रियान्विति के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को देय समुचित राशियों का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक मांगों में सम्मिलित कर लिया गया है।

163

(ख) आयोग की सिफारिशो की क्रियान्विति के क्रम में आगामी वित्तीय वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों को देय समुचित राशियों का प्रावधान 1996–97 के बजट अनुमानों में सम्मिलित कर लिया गया है।

(ग) आयोग द्वारा इंगित राशि के व्यय हेतु विस्तृत दिशा निर्देश सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रसारित किये जा रहे है।

(घ) राशियों के अंतरण के अलावा सिफारिशों पर सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग पृथक से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर रहे हैं।

भैरों सिंह शेखावत
मुख्य मंत्री

जयपुर
16 मार्च, 1996